

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-7  
संख्या-293 / नौ-7-19-35(ज)/2018 (वी.सी.)  
लखनऊ दिनांक 21 फरवरी, 2019

शुद्धि-पत्र

अन्त्येष्टि स्थल विकास योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2333/नौ-7-18-35(ज)/2018 दिनांक 02.01.2019, शासनादेश संख्या-2334/नौ-7-18-35(ज)/2018 दिनांक 02.01.2019 एवं शासनादेश संख्या-2335/नौ-7-18-35(ज)/2018 दिनांक 02.01.2019 द्वारा विभिन्न नागर निकायों में अन्त्येष्टि स्थल के सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार कार्य हेतु क्रमशः रू0 1497.08 लाख, रू0 1491.70 लाख, रू0 745.58 लाख (कुल रू0 3734.36 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेशों के प्रस्तर-2 में उल्लिखित लेखाशीर्षक निम्नलिखित रूप में वर्णित है :-

स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास-20-सहायक अनुदान सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

2. उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्तर में वर्णित लेखाशीर्षक — में त्रुटिवश मानक मद का कोड/नाम (35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान) अंकित नहीं है। उक्त शासनादेशों के प्रस्तर-2 में लेखाशीर्षक में मानक मद का कोड/नाम अंकित करते हुए संशोधन कर दिया गया है। अतः उक्त शासनादेशों के प्रस्तर-2 को निम्नवत पढ़ा जाय :-

स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास-20-सहायक अनुदान सामान्य (गैर वेतन)-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त शासनादेश संख्या-2333/नौ-7-18-35(ज)/2018 दिनांक 02.01.2019, शासनादेश संख्या-2334/नौ-7-18-35(ज)/2018 दिनांक 02.01.2019 एवं शासनादेश संख्या-2335/नौ-7-18-35(ज)/2018 दिनांक 02.01.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

  
(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव।


संख्या-293 / नौ-7-19-35(ज)/2018 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी समस्त जनपद, उ0प्र0।

3. कोषाधिकारी समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. महापौर/अध्यक्ष समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत उ0प्र0।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,



(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव।